

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 74 / 2020 (2020 / 00401)

गुलाबी पत्नि घीसा व अन्य जाति कुम्हार निवासी पीपलाज तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

—प्रार्थी

बनाम  
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—अप्रार्थी

अतर्गत धारा 138 एल0 आर0 एक्ट

आदेश

दिनांक 18.11.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि गुलाबी पत्नि घीसा, लालाराम, कैलाश, परमेश्वर पिसरान घीसा, रतनी पुत्री घीसा कौम कुम्हार सा0 देह द्वारा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया। प्रकरण की जाँच तहसीलदार केकड़ी से करवायी गयी। तहसीलदार सावर ने भू अभिलेख निरीक्षक पीपलाज/पटवारी हल्का गोरधा से जाँच करवायी गयी। खेवट खतौनी व वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073-76 से की गई। खेवट खतौनी जमाबंदी मे प्रार्थियों की जाति कुमावत दर्ज हे। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या 144 किता 02 रकबा 0.83 है। मे जाति कुम्हार (प्रजापति) दर्ज है। प्रार्थीगण के पहचान दस्तावेज एवं ग्राम के मुख्य मौतबिरान से पूछताछ के अनुसार प्रार्थीगण की जाति कुमावत होना पाया गया है। अतः पहचान दस्तावेज व खेवट खतौनी जमाबंदी व गांव के मुख्य मौतबिरान से पूछताछ के आधार पर प्रार्थीगण की जाति कुम्हार(प्रजापति)के स्थान पर कुमावत दर्ज किया जाना उचित है।

शिविर मे उपस्थित प्रार्थीगण व परोकार सरकार तहसीलदार सावर की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दौहराया तथा राजस्व रेकार्ड मे जाति दुरुस्त करने की प्रार्थना की। तहसीलदार सावर -पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे जाँच रिपोर्ट मे अंकित कथनो को दौहराया।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण एव तहसीलदार सावर की बहस पर मनन किया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या 144 किता 02 रकबा 0.83 है0 मे जाति कुम्हार (प्रजापति)के स्थान पर कुमावत दर्ज किया जाने के आदेश तहसीलदार सावर को दिये जाते है, बाकी इन्द्राज बदस्तूर रहेगे। तहसीलदार सावर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 शिविर पीपलाज मे मजमे आम मे सुनाया गया।



(विकास पंचोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
केकड़ी (अजमेर)

